राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्स, सी–स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।

टेलिफोनः– 0141–2222403 ई–मेलः–dlbrajasthna@gmail.com वेबसाईट www.lsgraj.org

क्रमांकः–एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/20/ 3194) दिनांकः– 1.7.20

परिपत्र

विषयः– बजट घोषणा 148 "सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य आधुनिक मशीनो एवं सुरक्षा उपकरणो के साथ किये जाने" के कम में।

संदर्भः– विभागीय परिपत्र दिनांक 14.10.15 एवं 30.08.19 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से समय समय पर सीवरेज सफाई एवं सेप्टिक टैंको की सफाई दौरान सुरक्षा उपारणो में प्रयोग करते हुये आधुनिक मशीनो से सफाई कार्य करने के निर्देश प्रदान किये जाते रहे है।

राजस्थान सरकार द्वारा सीवर की सफाई के दौरान जनहानि होने की घटनाओं को गम्भीरता से लिया गया है तथा सीवर सफाई में मानवीय उपयोग निषेघ मानते हुये यह कार्य आधुनिक मशीनो एवं सुरक्षा उपकरणो के साथ किये जाने पर जोर दिया गया है तथा जिसके लिए आवश्यकतानुसार नगरीय निकायो के पास आवश्यक संसाधन होने चाहिए।

राज्य में विभिन्न नगरीय निकायो द्वारा सीवरेज सिस्टम का निर्माण, संचालन एवं संधारण किया जा रहा है। इस परिपत्र के माध्यम से सभी स्थानीय निकायो को पुनः निर्देशित किया जाता है कि संचालन, संधारण व सफाई के समस्त कार्यों में राज्य सरकार के दिशानिर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया जो शहरी एवं आवासन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाईट http://amrut.gov.in/writereaddata/amrut_SOP.pdf पर उपलब्ध है, कि पालना की जावे। इसके अतिरिक्त Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 की पालना भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जावें, जिसके अन्तर्गत Manual Scavengers के माध्यम से सीवर सफाई रख–रखाव का कार्य निषिद्ध है। इन निर्देशो की पालना सुनिश्चित नही करने अथवा दुर्घटना होने में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे।

स्थानीय निकायो द्वारा निम्न निर्देशो की सख्ती से पालना की जावे :–

(अ) सामान्य सावधानियां :–

1. Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिये सीवर में प्रवेश की अनुमति नहीं हैं।
2. बिना सुरक्षा उपकरणों तथा आधुनिक संसाधानों के सीवर सफाई का कार्य नही करवाया जावे।
3. प्रत्येक छः माह में सीवर की सफाई की जानी चाहिए। साधारणतया मानसून पूर्ण सीवर की जांच, निरीक्षण एवं सफाई की जानी चाहिए।
4. सुपरवाईजर पर्याप्त मशीनरी एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ साईट पर उपस्थिति रहे। सफाई का कार्य उस अवधि में किया जावे जब सीवर में सीवर की मात्रा न्यूनतम हो।
5. सुरक्षा संबंधी समस्त उपकरण सुपरवाईजर के पास सीवर की सफाई प्रारम्भ करने से पूर्व में उपलब्ध होने चाहिए।
6. सर्वप्रथम सुपरवाईजर मेनहोल एवं सीवर के भाग का निर्धारण करें, जिसकी सफाई की जानी है एवं उस क्षेत्र में बैरिकेटिंग लगाई जावें।

7. एक झंडा साईट से 15 मी. दूर लगाया जावे जिसे कोई भी वाहन 150 मी. दूर से देख सकें।
8. कार्य प्रारम्भ करने से एक घंटे पूर्व कार्यस्थल के आगे–पीछे के दो–तीन मैनहोल खोले जायें ताकि जहरीली गैसें बाहर निकल सकें। किसी भी श्रमिक को मेनहोल में झांकने नही दिया जावे।
9. गैस मॉनिटर, लैम्प डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर मॉस्क का प्रयोग किया जावें।
10. सफाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक बांस जिसके अग्र भाग पर एक एसिटेट पेपर लगा हुआ हो, मेनहोल में डालना चाहिए। अगर यह पेपर काला हो जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाईल की उपस्थिति दर्शाता है और कार्य प्रारम्भ करने के समय को बढा देना चाहिए ताकि जहरीली गैसें पूर्ण रूप से बारह निकल सके।
11. शिल्ट एवं कीचड की सफाई हेतु उपयुक्त मशीन प्रयोग मे ली जानी चाहिए।
12. मशीन का संचालन निर्धारित विधि से किया जाना चाहिए।
13. सफाई उपरान्त मेनहोल को अच्छे तरीके से टाईट बंद किया जाना चाहिए।
14. मशीन/उपकरण, सुरक्षा उपकरण आदि की उपयुक्त सफाई जो निर्माणकर्ता द्वारा निर्धारित हैं, की जावें।
15. उपरोक्त सभी संचालन प्रशिक्षित सुपरवाईजर की देखरेख में किये जावें।
16. हानिकारक गैस रिसाव होने की स्थिति में सुरक्षा उपकरण जैसे– Breathing Appratus, Alarm system, Firstaid इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
17. प्रासंगिक पत्र दिनांक 14.02.2019 के साथ संलग्न फर्स्ट एड सामग्री, सफाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करने वाली आवश्यक कार्यवाहियां एवं मैन होल में प्रवेश होने से पूर्व आवश्यक तैयारिया परिशिष्ट i,ii,iii एवं सुरक्षा कवच परिशिष्ट iv पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित स्थानीय निकाय इसकी पालना सुनिश्चित करावें।

<u>(ब) पंजीकृत संस्थाओ से कार्य करवाये जाने पर, स्थानीय निकायो की जिम्मेदारी :–</u>

i. स्थानीय निकायों को मैकेनिकल साधन द्वारा सीवर एवं सेप्टिक टेंक की सफाई हेतु अनुभवी ऐजेंसी नियुक्त करनी चाहिए, जिसके पास इस तरह के कार्य का अनुभव, आवश्यक मशीनरी व अनुभवी व्यक्तियों की उपलब्धता हो।
ii. पंजीकृत ऐजेंसियों की सूची पब्लिक डोमेन/निकायों की वेबसाईट पर उपलब्ध करवानी चाहिए।
iii. सफाई के कार्य हेतु सुपरवाईजर एवं प्रयुक्त मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयुक्त एवं प्रशिक्षित होने चाहिए।
iv. सीवर सफाई गतिविधि के सुपरवाईजर को मशीनो से कार्य कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाये।
v. सुपरवाईजर द्वारा व्यक्ति को सीवर, लाईन सफाई में निर्देश देने से पूर्व उसे पूर्ण जोखिमों से अवगत करवाया जावे एवं उससे लिखित में स्वीकृति भी प्राप्त की जावे।
vi. सुपरवाईजर के साथ में सफाईकर्मियो के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।
vii. सफाई मशीनो/उपकरणों की संचालन प्रक्रियाओं की समस्त प्रक्रिया स्थानीय भाषा में स्थानीय निकायों द्वारा तैयार कर रखी जावें और उसकी जानकारी सम्बंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जावे।
viii. स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सफाई कर्मचारी नियमित रूप से चिकित्सा जांच और प्रशासित टीकाकरण करा रहे है ओर उसके उचित रिकॉर्ड रखेगे। डायबिटीज, हार्ट, मिर्गी व अन्य गंभीर बीमारी से पीडित व्यक्ति को सफाई प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावे।
ix. स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी द्वारा जिन कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य सौंपा गया है, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी कम से कम 10 लाख रू. की हो, जिसके प्रीमियम का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जावे।

x. स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में चलने वाली सफाई मशीनों/वाहनो के मालिको के पूर्ण सम्पर्क विवरण रखेगा और उनके द्वारा एकत्रित किये गये सभी अवशिष्ट को केवल निर्धारित सीलों/गहरे मेनहोल/सीवेज शोधिकरण सयंत्र पर खाली करना सुनिश्चित करें।

xi. पंजीकृत ऐजेसियो/ठेकेदार/नियोक्ताओ की किसी भी लापरवाही के लिये स्थानीय निकाय ही जिम्मेदार होगें।

(स) स्थानीय निकाय द्वारा सफाई प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने पर :–

i. प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वार सीवर सफाई कार्य हेतु कम से कम एक सुपरवाईजर अथवा कार्यक्षेत्र बड़ा होने पर एक से अधिक सुपरवाईजरों को नामित करेगें।

ii. सफाई कार्य मे कार्यरत विभागीय सुपरवाईजरों का नाम पब्लिक डोमेन/निकायों की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाऐं एवं सुपरवाईजर का स्थानान्तरण होन पर अन्य सुपरवाईजर की नियुक्ति कर उसका नाम पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करावें।

iii. स्थानीय निकाय सुपरवाईजर को आवश्यक मशीनें, उपकरण उपलब्ध करावें एवं समय–समय पर कार्य हेतु प्रशिक्षण करावें।

iv. सीवरेज सिस्टम की जीपीएस मैंपिंग की जावें, जिससे कि शिकायत क्षेत्र की पहचान कर कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके एवं किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक मदद् उपलब्ध करवाई जा सकें।

v. विभागीय सुपरवाईजर द्वारा व्यक्ति को सीवर लाईन सफाई में निर्देश देने से पूर्व उसे पूर्ण जोखिमों से अवगत करवाया जावे एवं उससे लिखित में स्वीकृति भी प्राप्त की जावें। सुपरवाईजर के साथ में सफाईकर्मियों के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।

vi. स्थानीय निकाय सफाई सम्बंधित शिकायतों को प्राप्त/पंजीकृत करने और उन्हे जल्द से जल्द हल हरने के लिए एक complaint redressal system विकसित करे एवं सख्ती से अमल करें।

vii. कोई भी व्यक्ति अपने घर के सेप्टिक टेंक की सफाई अप्रशिक्षित श्रमिक से नहीं करावे, केवल प्रशिक्षित श्रमिक ही सफाई हेतु लगाये जावे। इसे सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय निकाय प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करें।

viii. प्रत्येक निकाय में Responsible Sanitation Authority (RSA) बनाई जाकर Emergency Response Sanitation Unit (ESRU) की स्थापना की जावें तथा Sewer Entry Processionals (SEPs) का चयन किया जावें।

(द) <u>कार्मिको को प्रशिक्षण</u> :– सीवर लाईन मैनहॉल एव सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान सावधानियॉ/सुरक्षा के सभी मापदण्डों को पुर्ण करते हुये सफाई कार्य नगरीय निकायों द्वारा करवाया जाना है। सीवर लाईन मैनहॉल एवं सैप्टिक टैंक सफाई में लगे कार्मिको को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य किया जाना है। आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों को उपयोग में लेते हुये सीवर सफाई का कार्य किया जाना सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण समय–समय पर दिलवाना सुनिश्चित किया जावें।

(य) <u>प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता</u> :– बिना सुरक्षा उपकरणों तथा आधुनिक संस्थानों में किसी भी व्यक्ति से सीवरेज व सैप्टिक टैंक की सफाई में नही लगाया जावें। सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य एवं मशीनो द्वारा किये जाने के लिये सभी निकायो इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूकता की जानी है।

(र) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन नं. 583/2003 सफाई कर्मचारी आन्दोलन व अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेशों की पालना मे सभी नगरीय निकायो में सीवरेज की सफाई एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनो को रूपये 10.00 लाख का मुआवजा दिया जाने के प्रावधान की सुनिश्चिता की जावें।

उक्त निर्देश RUIDP, RUDSICO एवं अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्यो पर भी लागू होगें।

अतः सभी नगरीय निकायों से यह अपेक्षा है, कि उपरोक्त दिशानिर्देश की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें, जिससे कि सीवर सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांकः—एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/20/ 31942-32556 दिनांकः— 1.7.20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजि सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजि सहायक, महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान।
5. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर्स, समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान।
9. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता, नगर निगम / परिषद / पालिका (समस्त) राजस्थान।
12. मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त), नगर निगम / परिषद / पालिका, राजस्थान।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Annexure-I

Checklist for minimum constituents of the first- aid kit that shall be made readily available to the staffs employed in sewer cleaning at the site.			
S.No.	**Checklist**	**Minimum Constituents**	**Yes**
1.	Small sterilized dressings	6	
2.	Medium size sterilized dressings	3	
3.	Large size sterilized dressings	3	
4.	Large sterilized burn dressing	3	
5.	Bottle (30ml) containing a two percent alcoholic solution iodine	1	
6.	Bottle (30ml) containing salvolatile having the dose & mode of administration indicated on the label	1	
7.	Snakebite lancet	1	
8.	Bottle (30gm) of potassium permanganate crystals	1	
9.	Pair Scissors	1	
10.	Copy of the first-aid leaflet issued by the Directors general Factory Advice Service and Labour Institutes Government of India	1	
11.	Bottle Containing 100 tablets (each of 5mg)of aspirin	1	
12.	Ointment for burns	1	
13.	Bottle of suitable surgical antiseptic solution	1	

Annexure-II

Checklist for Prerequisites						
1.	Did you barricade the area of work?	Yes	☐	No	☐
2.	Have you opened upstream and downstream manholes?	Yes	☐	No	☐
3.	Is there a regular overflow?	Yes	☐	No	☐
4.	What kind of area is it?	Commercial	☐	Residential	☐
5.	Does the worker have the safety equipment?	Yes	☐	No	☐
6.	Has the worker applied oil on his exposed skin?	Yes	☐	No	☐
7.	Is the sewage cleaning machine available ?	Yes	☐	No	☐
8.	Is the suction of the cleaning machine verified ?	Yes	☐	No	☐
9.	If yes, is it in good condition ?	Yes	☐	No	☐
10.	Has the stagnant sewage water been cleared from the overflow manhole?	Yes	☐	No	☐
11.	Is the health condition of the worker acceptable?	Yes	☐	No	☐
12.	Are the pipeline silted?	Yes	☐	No	☐
13.	Where is the chockage ?	Manhole	☐	pipeline	☐
14.	Is there an oxygen cylinder?	Small cylinder	☐	External cylinder	☐
15.	If yes choose the appropriate option;	pipe leading to manhole	☐	No	☐

Annexure -III

Checklist for Entering Manhole

Checklist	Yes/No
1. Personal Safety Kit	
Helmet with headlight	
Gum Boots	
Waterproof Clothing	
Gloves	
Safety Belt	
Oxygen Mask	
Chemical Cartridge Mask	
Oil	
Soap	
Towel	
Oxygen Cylinder	
2. Gang Kit	
Barricade	
Rope Ladder/Tripod with Chain Pulley	
Silt Grabber	
Chromo-flexible Steel Rod	
Bucket with Rope	
Spade with long handle	
Crowbar	
Trolley	
First Aid Kit	
Manhole key Rod	

Annexure -IV

S.No.	Protective gears and safety devices	S.No.	Protective gears and safety devices
1	Air Compressor for blower	2	Airline breathing apparatus
3	Air line respirator with manually operated air blower	4	Air Purifier gas mask/chin cortege
5	Artificial respiration/reticulate	6	Barrier caution tape
7	Barrier Crème	8	Barrier Cone
9	Blower	10	Breath Mask
11	Breathing apparatus	12	Caution Board
13	Chlorine mask	14	Emergency medical oxygen resuscitator kit
15	First aid box	16	Face mask
17	Gas Monitor (4 Gases)	18	Guide pipe set
19	Full Body wader suit	20	Fishing wader suit attached with boots
21	Hand Gloves	22	Head lamps
23	Helmet	24	Helmet demolishing
25	Lead acetate paper	26	Life guard pad
27	Modular airlines supply trolley system	28	Normal face mask
29	Nylon rope ladder-5m	30	Nylon safety belt
31	Pocket Book	32	Port oxy
33	Raincoat	34	Reflecting jacket
35	Safety belt	36	Safety body clothing
37	Safety body harness	38	Safety goggles
39	Safety gumboots	40	Safety helmets
41	Safety showers	42	Safety torch
43	Safety tripod set	44	Search Light